अध्याय 4 - कार्यान्वयन

4.1 नोडल कार्यालयों एवं पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण और समावेशन

4.1.1 नोडल कार्यालयों का पंजीकरण एवं समावेशन

4.1.1.1 जीओआई के मंत्रालय/ विभाग

पीएफआरडीए ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया (15 फरवरी 2008) कि सीआरए को 01 जून 2008 से कार्य प्रारम्भ करना था। सभी नोडल कार्यालयों जैसे कि प्रधान एओ, पीएओ, डीडीओ तथा व्यक्तिगत अभिदाताओं का 01 जून 2008 तक नई सीआरए प्रणाली में पंजीकृत किया जाना अत्यन्त महत्वपूर्ण था ताकि निवेश के उद्देश्यों हेतु व्यक्तिगत, अभिदाता-वार अंशदान को स्वीकार किया जा सके। एनएसडीएल ने जून 2008[26] से सीआरए के रूप में कार्य करना प्रारम्भ किया।

पीएफआरडीए ने यह भी सूचित किया कि इस प्रक्रिया में हुई किसी भी प्रकार की देरी का एनपीएस अभिदाताओं की पेंशन बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ उनके आकलन के अनुसार यह भी कहा गया कि निधि अंतरण में एक दिन की देरी एक कर्मचारी के अन्तिम पेंशन धन को ₹40,000 तक कम कर देगी।

- केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के 62 डीडीओ की नमूना जाँच में यह पता लगा कि 1 जून 2008 (अर्थात् वह तिथि जब एनएसडीएल ने कामकाज करना शुरू किया अथवा वह तिथि जब डीडीओ ने कामकाज करना शुरू किया, दोनों में से जो भी बाद में हो) से सभी डीडीओ में एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकरण में (**अनुलग्नक IV**) 37 से 884 दिनों का विलम्ब हुआ था।

  डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि सीजीए के अनुसार सभी पीएओ/डीडीओ जिन्होंने एनएसडीएल को लीगेसी आँकड़े भेजे थे, को एनएसडीएल के साथ पंजीकृत किया जाना था। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएफएस/सीजीए द्वारा देरी के कारणों (**अनुलग्नक IV** में दर्शाये गये प्रकरणों के सम्बंध में) को और सीजीए के दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को प्रस्तुत नहीं किया गया।

---

[26] पीएफआरडीए द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार अप्रैल 2008 और अक्तूबर 2018 के बीच 15660 डीडीओ, 2932 पीएओ और 131 प्रधान एओ एनपीएस के तहत पंजीकृत हुए। 15660 में से 9643 डीडीओ, 2932 में से 1849 पीएओ और 131 प्रधान एओ में से 119, 2008-09 में ही पंजीकृत हो गये थे।

01 जून 2008 के पश्चात एक नोडल कार्यालय का एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकरण करने हेतु समय अवधि के विषय में, डीएफएस द्वारा का.ज्ञा. दिनांक 02 सितम्बर 2008 को संदर्भ में लाया गया जो यह उल्लेख करता है कि पंजीकरण तत्काल प्रकृति का था, अतः दिनों में समय अवधि तय करने के स्थान पर का.ज्ञा. में तत्काल कार्रवाई निर्धारित की गई थी क्योंकि यहाँ देरी की गुंजाईश नहीं थी।

तथापि, उपरोक्त का.ज्ञा. के जारी होने के बावजूद भी नोडल कार्यालयों के पंजीकरण में हुई देरी को देखते हुए लेखापरीक्षा का यह मानना है कि निर्देशों का सख्ती से पालन नहीं किया गया और यह निर्देशों के अनुपालन की निगरानी हेतु प्रभावी तंत्र के अभाव को भी उजागर करता है।

- एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं हुए, पात्र नोडल कार्यालयों की संख्या के संबंध में पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च और दिसम्बर 2019) कि डीओई द्वारा जारी किये गये का.ज्ञा. ने (जुलाई 2011) मंत्रालयों में एनपीएस के कार्यान्वयन की अन्तिम जिम्मेवारी वहाँ के वित्तीय सलाहकारों की तय की और संबंधित लेखा गठन यह जानकारी देने के लिए बेहतर स्थिति में होंगे कि क्या वहाँ ऐसे पात्र नोडल कार्यालय थे जो कि एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किये गये।

4.1.1.2 केन्द्रीय स्वायत्त निकाय (सीएबी)

डीओई के का.ज्ञा. दिनांक 13 नवम्बर 2003 के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाले किसी भी स्वायत्त निकाय में 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शामिल होने वाले नये कर्मचारी भी एनपीएस द्वारा शासित होंगे। 30 मई 2008 को हुई बैठक के कार्यवृत्त भी यह इंगित करते हैं कि डीओई यह सुनिश्चित करेगी कि सभी स्वायत्त निकायों द्वारा एनपीएस को अंगीकृत एवं लागू किया गया है। तथापि, इसके पश्चात् के का.ज्ञा. (नवम्बर 2008) में डीओई ने सभी मंत्रालयों/विभागों द्वारा स्वायत्त निकायों को यह सलाह देने कि लिए कहा कि एनपीएस की संरचना में स्थानान्तरण हेतु वे पीएफआरडीए से संपर्क करें तथा यह भी कहा गया कि सभी स्वायत्त निकायों द्वारा यह कार्य 31 जनवरी 2009 तक पूरा किया जाना है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनपीएस संरचना में सभी सीएबी के स्थानान्तरण हेतु निर्धारित तिथि 31 जनवरी 2009 के विपरीत, पीएफआरडीए पहली सीएबी थी जिसे फरवरी 2009 में एनपीएस के अन्तर्गत लाया गया। पीएफआरडीए द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार अप्रैल 2008 से अक्तूबर 2018 के बीच 3,999 डीडीओ, 1,874 पीएओ और 573 प्रधान एओ, एनपीएस में पंजीकृत किए गये।

3,999 डीडीओ में से शून्य, 1,874 पीएओ में एक और 573 प्रधान एओ में से एक 2008-09 में ही पंजीकृत हुए।

जून 2013 में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पीएफआरडीए को सीएबी की सूची प्रदान करने के लिये सचिव (व्यय) से अनुरोध किया जाएगा (क्योंकि अनुदान बजट दस्तावेजों में दर्ज थे) जिससे कि वह सभी सीएबी को तुरन्त एनपीएस प्रणाली के अन्तर्गत लाने में सक्षम हो सके। हालाँकि, यह सूची पीएफआरडीए को प्रदान नहीं की गई। डीओई ने सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध किया (दिसम्बर 2015) कि समय-समय पर पीएफआरडीए द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बावजूद, बड़ी संख्या में सीएबी, एनपीएस के अन्तर्गत शामिल नहीं हुई हैं और केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग इस मामले की समीक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वे उनके प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले सभी स्वायत्त निकायों को एनपीएस में शामिल करने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करें।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि सभी सीएबी के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु डीओई, पीएफआरडीए एवं संबंधित मंत्रालयों/विभागों के मध्य एक समन्वित दृष्टिकोण आवश्यक था। इसके विपरीत सीएबी के पंजीकरण की जिम्मेवारी डीओई (मई 2008), पीएफआरडीए (जून 2013) और संबंधित मंत्रालयों/विभागों (दिसम्बर 2015) के मध्य स्थानांतरित होती रही है।

पीएफआरडीए को उन सीएबी की संपूर्ण सूची की जानकारी नहीं थी जो कि एनपीएस के दायरे से बाहर थीं और यह उत्तर दिया (मार्च 2019) कि सीएबी की वास्तविक स्थिति की पुष्टि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जा सकती है।

डीओई के प्रशासनिक नियंत्रण के अन्तर्गत केवल एक स्वायत्त निकाय (राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान)[27] है, जो एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं किया गया था (फरवरी 2019)।

सीएबी के 12 डीडीओ की नमूना जाँच में यह पाया गया कि 1 जून 2008 से (वह तिथि जब एनएसडीएल ने कामकाज शुरु किया अथवा उस तिथि से जब डीडीओ ने कार्य करना प्रारम्भ किया, दोनों में से जो भी बाद में हो) एनपीएस के तहत पंजीकरण में 121 से 1003 दिनों का विलम्ब **(अनुलग्नक V)** हुआ था।

4.1.1.3 राज्य सरकारें और राज्य स्वायत्त निकाय (एसएबी)

i. राज्यों में पंजीकृत डीडीओ की कुल संख्या 2,20,217 (30 अप्रैल 2018 को) थी। राज्य सरकारों में नोडल कार्यालयों के पंजीकरण की स्थिति

[27] नाम बदल कर अरूण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान रखा गया (फरवरी 2020)

(पंजीकृत होने वाले कुल पात्र कार्यालयों और शेष अपंजीकृत के संदर्भ में) पर स्पष्टीकरण मांगने से संबंधित लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च 2019) कि राज्य सरकारों द्वारा अपने निर्णय के आधार पर एनपीएस को अलग-अलग तारीखों पर अधिसूचित और अंगीकृत किया गया था। पीएफआरडीए ने यह भी उत्तर दिया कि अधिसूचनाओं को संबंधित नोडल कार्यालयों और/अथवा वित्त विभाग को भेज दिया गया था और नोडल कार्यालयों के एनपीएस में पंजीकरण को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की थी।

आगे, एनपीएस के अन्तर्गत एसएबी के नामांकन की स्थिति (पंजीकृत होने वाले कुल पात्र कार्यालयों और शेष अपंजीकृत के संबंध में) के बारे में स्पष्टीकरण मांगने से संबंधित लेखापरीक्षा प्रश्न के उत्तर में डीएफएस ने कहा (मार्च एवं दिसम्बर 2019) कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाली पात्र एसएबी की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी तथा संबंधित राज्य सरकार इसकी पुष्टि करने के लिए बेहतर स्थिति में होंगी।

ii. चयनित राज्य सरकारों एवं यूटी (उनके एसएबी सहित) में सभी नोडल कार्यालयों की 100 प्रतिशत समाविष्टि के आश्वासन के संबंध में लेखापरीक्षा जाँच में निम्नलिखित पाया गयाः

- आँध्र प्रदेश में फरवरी 2019 तक 22,073 डीडीओ में से 244 अपंजीकृत थे।
- हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड और झारखण्ड में सभी नोडल कार्यालय एनपीएस के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं थे।
- राजस्थान में, राज्य बीमा एवं भविष्य निधि (एसआईपीएफ) विभाग, जयपुर जो कि एक नोडल कार्यालय के तौर पर कार्य करता है, के अनुसार 27,538 डीडीओ, एनपीएस के अंतर्गत पंजीकृत किये गये थे। हालाँकि, लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार राज्य में डीडीओ की संख्या 35,595 है।
- कर्नाटक में, डीडीओ के द्वारा वेतन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें नियंत्रण लगाया गया है कि 1 अप्रैल 2006 को या उसके बाद सेवा में आये कर्मचारियों के वेतन बिलों में अगर एनपीएस की कटौती नहीं हुई है

तो वेतन बिलों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस प्रणाली ने राज्य में सभी पात्र डीडीओ के पंजीकरण को सुनिश्चित किया। हालाँकि, राज्य में एसएबी का कोई केन्द्रीकृत डाटाबेस नहीं है।

- शेष चयनित राज्यों/यूटी[28] में भी लेखापरीक्षा नोडल कार्यालयों की संपूर्ण समाविष्टि के विषय में आश्वासन प्राप्त नहीं कर सकी।

iii. राज्य सरकार और एसएबी के 168 चयनित डीडीओ की लेखापरीक्षा जाँच ने दर्शाया कि एनएसडीएल के साथ अनुबंध की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि के बाद डीडीओ के कार्य शुरू करने की तिथि (जो भी बाद में हो) को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार के डीडीओ के पंजीकरण में 62 दिनों से 1,687 दिनों का समय लगा (**अनुलग्नक VI**), और एसएबी के डीडीओ के पंजीकरण में 552 दिनों से 3,385 दिनों का समय लगा (**अनुलग्नक VII**).

विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:-

तालिका: 4.1

राज्य	राज्य सरकार के चयनित डीडीओ की संख्या	एसएबी के चयनित डीडीओ की संख्या	राज्य सरकार के एनएसडीएल के साथ अनुबंध की तिथि	राज्य सरकार के डीडीओ के पंजीकरण में लगा समय (दिनों में)	एसएबी डीडीओ के पंजीकरण में लगा समय (दिनों में)
आँध्र प्रदेश	20	05	21.11.2008	228-1215	1630-3385
हिमाचल प्रदेश	20	05	24.12.2009	110-131	832-1693
झारखण्ड	20	02	25.10.2008	162	830-3341
कर्नाटक	20	05	20.01.2010	62-182	1997-2599
महाराष्ट्र	20	01	10.10.2014	97-601	1006*
राजस्थान	20	05	09.11.2010	192-1687	552-2512
उत्तराखण्ड	20	05	11.09.2009	75	1027-2594
कुल	**140**	**28**	**-**	**-**	**-**

*महाराष्ट्र सरकार ने जिला परिषद के पंजीकरण की तिथि को 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दिया था। जिला परिषद, नान्देड़ का पंजीकरण 8 दिसम्बर 2017 को हुआ, अतः पंजीकरण में कोई देरी नहीं हुई।

एनएसडीएल-सीआरए ने पीएफआरडीए को सूचना दी (अक्तूबर 2014) कि निर्धारित प्रारूप में पंजीकरण सभी संबंधित दस्तावेज सीआरए के पास प्राप्त होते

[28] अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और महाराष्ट्र

ही एसएबी का पंजीकरण शुरू कर दिया गया। एसएबी का पंजीकरण आवश्यक दस्तावेजों के अपूर्ण होने तथा/अथवा न भेजे जाने, पंजीकरण हेतु दस्तावेज प्राप्त न होने आदि के कारण लम्बित था।

इस प्रकार इस बात का कोई आश्वासन नहीं था कि सभी नोडल कार्यालय (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सीएबी और एसएबी के अधीन) एनपीएस के तहत पंजीकृत हो चुके थे।

अनुशंसा: सभी नोडल कार्यालयों का एनपीएस के तहत पंजीकरण सुनिश्चित करने हेतु एक सुस्पष्ट प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है।

4.1.2 गैर प्रेषण/ विलम्बित प्रेषण के लिये क्षतिपूर्ति

पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 2(जी) के अनुसार "मध्यस्थ" में पेंशन निधि, सेंट्रल रिकार्ड कीपिंग एजेंसी, एनपीएस न्यास, पेंशन निधि सलाहकार, सेवानिवृत्ति सलाहकार, उपस्थिति अस्तित्व (पीओपी) और ऐसे व्यक्ति और संस्था शामिल होंगे जो संग्रहण, प्रबंधन, रिकार्ड कीपिंग और संचय के वितरण से सम्बंधित होंगे। आगे, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम, 2018 का प्रावधान 41[29] प्रावधान करता है कि यदि पीओपी द्वारा सेवा स्तर मानकों या प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी दिशानिर्देश का पालन करने में हुई विफलता के कारण अभिदाताओं को नुकसान या असुविधा होती है तो अभिदाता को प्राधिकरण द्वारा जारी दिशानिर्देशों या सेवा स्तर मानकों में दी गई क्षतिपूर्ति सीमा के अनुसार क्षतिपूर्ति मिलेगी।

कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 की धारा 14ख के अनुसार, यदि कोई नियोक्ता अंशदान को निधि में जमा नहीं कराता है अथवा जमा निधि का स्थानान्तरण नहीं करता है जो कि उसे करना चाहिये था, तो आयुक्त अथवा ऐसा अन्य अधिकारी नियोक्ता से दंड के रूप में क्षतिपूर्ति, जो कि बकाया धनराशि से अधिक न हो, की वसूली कर सकता है जो कि योजना में वर्णित है।

4.1.2.1 पीएफआरडीए ने डीएफएस को सूचित किया (जून 2016) कि सरकारी नोडल कार्यालय मध्यस्थ के रूप में एनपीएस संरचना के तहत पंजीकृत नहीं हुए थे। सरकारी नोडल कार्यालयों की वर्तमान प्रस्थिति को स्पष्ट करते हुऐ पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (नवम्बर 2018) कि ऐसे कोई विशिष्ट विनियम

[29] पूर्व में, पीएफआरडीए (उपस्थिति अस्तित्व) विनियम 2015 का प्रावधान 40 निर्धारित समय अवधि में अंशदान अपलोड न करने की स्थिति में, विलंब के समय या उल्लंघन हेतु अंशदाता को बैंक दर से 2 प्रतिशत अधिक की क्षतिपूर्ति देता था।

नहीं थे जो पीएफआरडीए अधिनियम की धारा 27[30] के तहत नोडल कार्यालयों के पंजीकरण से संबंधित थे। हालाँकि, वर्तमान में ये कार्यालय सरकारों द्वारा जारी किये गये विभिन्न का.ज्ञा. के द्वारा विनियमित थे।

पीएफआरडीए के उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखने की आवश्यकता है कि पीएफआरडीए अधिनियम 2013 की धारा 2(टी) अभिदाता का वर्णन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में करती है जो पेंशन निधि योजना की सदस्यता लेता है और एनपीएस के सरकारी अभिदाताओं और निजी अभिदाताओं में कोई अन्तर नहीं करती है।

4.1.2.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि पीएफआरडीए में पंजीकृत उपस्थिति बिन्दुओं (गैर सरकारी) के अन्तर्गत एनपीएस अभिदाताओं के हित सरकारी नोडल कार्यालयों के अन्तर्गत अभिदाताओं की तुलना में प्रेषण न करने/विलम्ब से प्रेषित करने के लिये क्षतिपूर्ति के माध्यम से सुरक्षित थे क्योंकि सरकारी नोडल कार्यालयों के अभिदाताओं को इस प्रकार की सुरक्षा नहीं थी जो कि एनपीएस के अभिदाताओं में समानता की कमी को इंगित करती है। इसके अतिरिक्त, नोडल कार्यालयों (केंद्रीय सरकार) पर लागू किसी भी का.ज्ञा. में अंशदानों को प्रेषित न किये जाने/विलम्ब से प्रेषित किये जाने की स्थिति में एनपीएस अभिदाता को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। पीएफआरडीए अधिनियम में किसी मध्यस्थ अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इसके प्रावधानों, नियमों, विनियमों और निर्देशों का अनुपालन करने में विफल होने पर जुर्माना लगाने का भी प्रावधान था। हालाँकि, चूंकि सरकारी नोडल कार्यालय मध्यस्थों के रूप में पंजीकृत नहीं थे, अत: अनुपालन न करने के लिये पीएफआरडीए द्वारा जुर्माना लगाना तथा विलम्ब के कारण नुकसान की वसूली करना सम्भव नहीं था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओआई ने संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही तय करने के लिये नियम निर्मित नहीं किये हैं जिससे अभिदाताओं का अंशदान प्रेषित नहीं हो रहा/विलम्ब से हो रहा। इसके अतिरिक्त जीओआई द्वारा यह निर्णय लेने के लिये नियम नहीं बनाये गये हैं कि क्षतिपूर्ति किस स्त्रोत से प्रदान की जायेगी। आगे, 2004-12 के दौरान अंशदान न जमा होने/विलम्ब से जमा होने के मामले पर विचार करते हुए जीओआई ने अधिसूचित (31 जनवरी 2019) किया कि 2004-12 के दौरान जमा नहीं किये गये अंशदान अथवा विलम्ब से जमा किये गये अंशदानों के लिये सरकारी अभिदाताओं को जीपीएफ दरों पर क्षतिपूर्ति दी

---

[30] धारा 27 निर्दिष्ट करती है कि कोई मध्यस्थ जिसमें पेंशन निधि या पीओपी शामिल है, उस सीमा तक जहाँ तक इस अधिनियम में विनियमित है, इस अधिनियम तथा विनियम के द्वारा प्रदत अधिकारों के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने की शर्तों के तहत और अनुसार, के अन्यथा पेंशन निधि से सम्बंधित कोई कार्य प्रारम्भ नहीं करेगा।

जाएगी। इस प्रकार के विनियमों का निर्माण सरकारी नोडल कार्यालयों में बेहतर अनुशासन सुनिश्चित करेगा तथा अंशदानों का समय से प्रेषण करने की दिशा में दोषी कार्यालयों के लिये एक निवारक के रुप में कार्य करेगा।

निर्णय को कार्यान्वित करने (31 जनवरी 2019) हेतु सीजीए ने दिशानिर्देश जारी किये (07 जनवरी 2020) जिसमें ये प्रावधान किया गया कि ब्याज की गणना कर्मचारी के वर्तमान डीडीओ द्वारा सीआरए (एनएसडीएल) के द्वारा प्रदान किये गये आँकड़ों जिसकी पुष्टि कर्मचारी के सेवा अभिलेखों से की जाएगी, के आधार पर की जायेगी। आँकड़ों/अभिलेखों की सत्यता की पुष्टि संबंधित कर्मचारी से भी की जा सकती है।

हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि न तो जीओआई की अधिसूचना और न ही सीजीए के द्वारा जारी किये गये दिशानिर्देश 2012-13 के बाद से अंशदानों को जमा न करना व देरी से जमा करने को समाविष्ट करते है।

डीएफएस ने उत्तर दिया कि (दिसम्बर 2019) 2012 के बाद हुए विलम्ब पर, सचिवों की समिति द्वारा, एनपीएस को सुव्यवस्थित करने हेतु सुझाये गये उपाय कार्यान्वित करने के लिए सक्रिय रूप से विचाराधीन हैं। इसके अतिरिक्त, एनपीएस ट्रस्ट को पीएफआरडीए से अलग करने की 2019 की बजट घोषणा के अनुपालन में, सरकारी विभागों में देरी के लिए क्षतिपूर्ति और दंड प्रावधानों को शामिल करने सहित पीएफआरडीए अधिनियम में आवश्यक संशोधन करना विचाराधीन था। डीओपीपीडब्ल्यू ने भी सीसीएस (एनपीएस) नियमों के मसौदे में दण्ड के प्रावधानों को शामिल किया है।

4.1.3 पात्र कर्मचारियों का पंजीकरण एवं समावेशन

4.1.3.1 जीओआई के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

दिसम्बर 2012 में एक बैठक के दौरान, पीएफआरडीए ने अवलोकन किया कि समावेशन अन्तर पाँच प्रतिशत से दस प्रतिशत के बीच हो सकता है और केन्द्रीय सरकार और स्वायत्त निकायों के लगभग एक लाख संभावित अभिदाताओं को सम्मिलित नहीं किया गया। तदनुसार, पीएफआरडीए को केन्द्रीय सरकार के सभी शेष कर्मचारियों का एनपीएस के तहत नामांकन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करने की सलाह दी गई। तत्पश्चात, जून 2013 में हुई एक अन्य बैठक में पीएफआरडीए ने स्पष्ट किया कि 11.65 लाख अभिदाताओं का योजना में नामांकन किया गया (जून 2013 तक), परन्तु भर्ती के आँकड़े न होने के कारण यह निर्धारित करना सम्भव नहीं था कि क्या 100 प्रतिशत समावेशन कर लिया गया है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बजट दस्तावेजों के आधार पर

सरकारी कर्मचारियों में होने वाली वृद्धि को मापदंड के रूप में लिया जा सकता है और पीएफआरडीए को 1 जनवरी 2004 से रोलिंग आधार पर किसी विशिष्ट तिथि जो कि पिछले वर्ष का मार्च हो सकती है, तक सभी कर्मचारियों का शत प्रतिशत नामांकन पूर्ण करना चाहिए।

दिनांक 1 फरवरी 2014 की अधिसूचना के अनुसार पीएफआरडीए को सारे देश में एनपीएस को कार्यान्वित करने और सभी केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों जिन्होंने 01 जनवरी 2004 को अथवा उसके बाद सेवा में प्रवेश किया था, के नामांकन की निगरानी और देखरेख करने का अधिदेश दिया गया। हालाँकि, इसने कहा गया कि (जनवरी 2015) यह निश्चित नहीं था कि योजना के तहत कर्मचारियों के नामांकन, अंशदान और प्रणाली में उनके प्रेषण के संबंध में कर्मचारियों का शत प्रतिशत समावेशन प्राप्त कर लिया गया है, इसलिए इसने शत प्रतिशत समावेशन को सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने हेतु डीओई से आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया। पीएफआरडीए ने कहा (जनवरी 2015) कि सम्पूर्ण केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में योजना के समावेशन के संबंध में किसी औचित्यपूर्ण मूल्यांकन पर पहुँचने के लिए उन्हें केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में भर्ती के आँकड़े अथवा 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद भर्ती हुए कर्मचारियों की वास्तविक संख्या की आवश्यकता है। पीएफआरडीए ने पहले भी (जून 2013 और अगस्त 2013) डीओई के समक्ष यही आग्रह किया था।

कर्मचारियों के शत प्रतिशत समावेशन पर स्पष्टीकरण देते हुए पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (नवम्बर 2018) कि उनके पास 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में भर्ती हुए कुल कर्मचारियों के आँकड़े उपलब्ध नहीं थे और वे यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि क्या योजना के तहत कर्मचारियों का 100 प्रतिशत समावेशन हो गया था। पीएफआरडीए ने यह भी उत्तर दिया कि उनके पास यह जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि क्या एनपीएस के तहत कर्मचारियों के नामांकन, अंशदान और प्रणाली में इनके प्रेषण के संबंध में 100 प्रतिशत कर्मचारियों का समावेशन था।

डीएफएस ने उत्तर दिया (मई और दिसम्बर 2019) कि पीएफआरडीए के पास एनपीएस के तहत प्रणाली में कर्मचारियों और नोडल कार्यालयों के 100 प्रतिशत समावेशन की जाँच करने हेतु कोई तंत्र नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि केवल संबंधित नोडल कार्यालय ही इसकी पुष्टि करने की स्थिति में थे क्योंकि पीएफआरडीए/एनएसडीएल-सीआरए के पास प्रैन बनाने के लिए आवेदन प्राप्त होने से पहले सरकारी सेवा में शामिल हुए नये कर्मचारियों के बारे में कोई आँकड़ा नहीं था।

केन्द्रीय सरकार के 13 मंत्रालयों/विभागों[31] में से आठ में, एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन का आश्वासन देने हेतु और एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में पात्र कर्मचारियों का आँकड़ा नहीं तैयार किया गया जैसा कि तालिका 4.2 में दर्शाया गया हैः

तालिकाः 4.2

चयनित मंत्रालयों की कुल संख्या ***(चयनित मंत्रालयों/विभागों में चयनित डीडीओ की कुल संख्या)***	एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन का आश्वासन न देने वाले मंत्रालयों की कुल संख्या ***(उपरोक्त मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाले चयनित डीडीओ की संख्या)***	एनपीएस के तहत सभी पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन का आश्वासन देने वाले मंत्रालयों की संख्या ***(उपरोक्त मंत्रालयों के अन्तर्गत आने वाले डीडीओ की संख्या)***
13***(62)***	08[32]***(35)***	05[33]***(27)***

हालाँकि, 11 चयनित सीएबी के 12 डीडीओ में, डीडीओ के अन्तर्गत कार्य करने वाले सभी पात्र कर्मचारी एनपीएस में पंजीकृत थे।

4.1.3.2 राज्य सरकारें और एसएबी

पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों[34] से एनपीएस के अन्तर्गत पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन को सुनिश्चित करने हेतु एनपीएस के लिए पात्र कर्मचारियों की सटीक संख्या के साथ पंजीकृत कर्मचारियों की संख्या प्रस्तुत करने का आग्रह किया (17 नवम्बर 2015)। हालाँकि, पीएफआरडीए के पास ये सूचना उपलब्ध नहीं थी।

चयनित राज्यों और यूटी में 183 डीडीओ की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि छः[35] राज्यों और एक[36] यूटी में 75 डीडीओ के पास पात्र कर्मचारियों को प्रैन जारी नहीं होने के मामले थे।

---

31 16 मंत्रालयों के नमूनों में से 3 मंत्रालय नामतः कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय में केवल एबी के डीडीओ सम्मिलित हैं।

32 डीईए, डीएफएस, राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, खान मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

33 आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जल संसाधन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग

34 असम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, केरल, बिहार, महाराष्ट्र आदि

35 महाराष्ट्र, उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश, झारखण्ड

36 दिल्ली की एनसीटी

डीडीओ ने बताया कि कर्मचारियों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करने, अभिदाताओं द्वारा सीएसआरएफ (सामान्य अभिदाता पंजीकरण प्रपत्र) विलम्ब से प्रस्तुत करने, सीएसआरएफ में डीटीओ/एनएसडीएल द्वारा निकाली गई कमियों आदि के कारण प्रैन आबंटन हेतु समय पर डीटीओ को आवेदन पत्र संसाधित और अग्रेषित नहीं किये जा सके। हालाँकि, उत्तर को इस तथ्य के प्रकाश में देखा जा सकता है कि डीडीओ को कर्मचारियों द्वारा उनकी भर्ती के तुरन्त बाद सही ब्यौरे के साथ आवेदन-पत्र भेजना सुनिश्चित करना था। इसके अतिरिक्त, प्रैन जारी न होने के कारण ये कर्मचारी एनपीएस के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं हुए जिसके परिणामस्वरूप वे इस योजना के तहत किसी लाभ के लिये पात्र नहीं होंगे।

आगे, लेखापरीक्षा ने चयनित राज्यों में सभी पात्र कर्मचारियों के समावेशन के संबंध में प्रकरणों (नीचे दर्शाये गये) को देखा जो कि एनपीएस के अन्तर्गत समावेशन हेतु पात्र कर्मचारियों की सूचना/आँकड़ों की पूर्णता के विषय में अनिश्चितता को उजागर करते हैं। इस अनिश्चितता के कारण पीएफआरडीए में समाविष्टि अन्तर (अर्थात पात्र कर्मचारियों की संख्या तथा पंजीकृत संख्या) अचिन्हित रहा।

- कर्नाटक में एसएबी के अलावा कर्मचारियों का 100 प्रतिशत समावेशन था। डीडीओ द्वारा आवश्यक रूप से वेतन बिलों को एचआरएमएस द्वारा तैयार किया जाता है जिसमें नियंत्रण लगाया है कि अगर एनपीएस की कटौती नहीं हुई है तो 1 अप्रैल 2006 या उसके बाद सेवा में आये कर्मचारियों के वेतन बिलों को स्वीकार नहीं किया जाता है।
- आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूहः सभी कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन की पुष्टि करने हेतु कोई तन्त्र नहीं था।
- महाराष्ट्रः 2,77,216 में से 21,206 कर्मचारियों का पंजीकरण नहीं हुआ (31 मार्च 2018 तक)। कुछ एसएबी[37] के कर्मचारी एनपीएस के अन्तर्गत शामिल नहीं थे।
- उत्तराखण्डः 84,159 कर्मचारियों में से 8,253 कर्मचारी एनपीएस से बाहर थे (30 नवम्बर 2018 तक)

[37] मान्यता एवं सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थान, कृषि/गैर-कृषि विश्वविद्यालय और सम्बद्ध गैर-सरकारी महाविद्यालय, जल संसाधन विभाग के तहत आने वाले निगम और जिला परिषद (जैडपी) के तहत आने वाले अध्यापक।

- हिमाचल प्रदेशः 908 कर्मचारी एनपीएस से बाहर थे (13 फरवरी 2019 तक) और
- झारखंडः दिसम्बर 2018 तक 62 कर्मचारी एनपीएस से बाहर थे।

पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (मार्च और दिसम्बर 2019) कि एनपीएस के तहत सम्मिलित होने वाले पात्र कर्मचारियों की संख्या का मूल्यांकन करने की जिम्मेदारी संबंधित नोडल कार्यालय की थी। यह भी दोहराया कि इसके पास एनपीएस के तहत कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन की जाँच करने हेतु कोई तंत्र नहीं था।

इस प्रकार योजना के सूत्रीकरण के दौरान पात्र कर्मचारियों की 100 प्रतिशत समाविष्टि को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक नियंत्रकों को ध्यान में नहीं रखा गया। इसके अतिरिक्त, एनपीएस के कार्यान्वयन के 15 वर्षों के बावजूद पात्र कर्मचारियों के 100 प्रतिशत समावेशन पर अब भी आश्वासन का अभाव है।

अनुशंसाः सभी एनपीएस पात्र कर्मचारियों के पंजीकरण को सुनिश्चित करने हेतु एक सुस्पष्ट प्रणाली को स्थापित करने की आवश्यकता है। आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को यह देखना चाहिये कि प्रत्येक कर्मचारी प्रणाली में सम्मिलित हो। इसे सुनिश्चित करने के लिये विलम्ब होने पर दंड देने तथा अभिदाता को नुकसान से बचाने हेतु क्षतिपूर्ति देने की आवश्यकता है।

4.1.4 अभिदाताओं का अपूर्ण पंजीकरण

डीओई के पीएफआरडीए/एनएसडीएल और विभिन्न लेखा संगठनों को भेजे गये दिनांक 29 अप्रैल 2009 के पत्र के अनुसार उन सभी अभिदाताओं को पंजीकरण के लिए आवेदन भरना था जो कि लीगेसी आँकड़ों के द्वारा पंजीकृत हुए थे और इसे संबंधित पीएओ द्वारा एनएसडीएल को भेजना था तथा इस प्रक्रिया को 31 जुलाई 2009 तक पूर्ण करना था। इसके अतिरिक्त, डीओई ने दोहराया कि सभी नवनियुक्त जो 1 अप्रैल 2009 को या उसके बाद सेवा में शामिल हुए थे, को एनएसडीएल द्वारा निर्धारित किये गये प्रपत्र के द्वारा सीधे एनएसडीएल के साथ पंजीकृत किया जा सकता है और इसके बाद उनका एससीएफ अपलोड शुरू किया जा सकता है।

डीओई ने पाया (17 अगस्त 2009) कि 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए नव-नियुक्तों के कई मामलों के संबंध में, एनपीएस में पंजीकरण हेतु व्यक्तिगत आवेदन प्रपत्र भरकर एनएसडीएल को नहीं भेजे गये। इसने तदनुसार सलाह दी कि ऐसे सभी कर्मचारी प्रपत्र को भरें जिसे डीडीओ/पीएओ द्वारा तुरन्त (31 अगस्त 2009 तक) एनएसडीएल को अग्रेषित किया जाये।

इस संबंध में, पीएफआरडीए ने उत्तर दिया (नवम्बर 2018) कि गैर-आई.आर.ए.[38] अभिदाताओं जो कि न्यूनतम आँकड़ों (लीगेसी आँकड़ों/शून्य अंशदान) के द्वारा पंजीकृत हुए थे, के संबंध में भौतिक प्रैन आवेदन भेजने की प्रक्रिया अभी भी जारी थी, क्योंकि अभी भी कुछ केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों से कुछ प्रैनों के भौतिक प्रपत्र प्राप्त नहीं हुए थे। पीएफआरडीए ने अपने उत्तर में यह भी कहा कि केन्द्रीय सरकार में 4,383 प्रैन (पीएफआरडीए की सलाह पर 31 अक्तूबर 2018 को असक्रिय किये गये 33,948 गैर-आईआरए प्रैनों के अलावा) अभी भी गैर-आईआरए थे। आगे, निष्क्रिय किये गये गैर-आईआरए प्रैनों को भौतिक सीएसआरएफ प्रपत्र प्रस्तुत करने पर ही पुनः सक्रिय किया जाएगा।

इस प्रकार भौतिक प्रपत्र प्रस्तुत न करने के कारण उन अभिदाताओं का पंजीकरण अभी भी पूरा नहीं हुआ है जो लीगेसी आँकड़ों के आधार पर सीआरए प्रणाली में शामिल हुए थे। परिणामस्वरूप अन्तिम लाभ की प्रक्रिया में देरी हो सकती है।

डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि सीजीए ने सुझाया कि पीएफआरडीए, एनपीएस अभिदाताओं के पंजीकरण के मुद्दे को इस उद्देश्य हेतु बनी वित्तीय सलाहकारों की समिति के समक्ष उठा सकता है और डीडीओ/कार्यालय प्रधान से भी आँकड़ों को साझा करे क्योंकि सेवा पंजिका में दस्तावेज अद्यतन किये जाते हैं।

4.2 स्थायी पेंशन खाता संख्या जारी करने में देरी

स्थायी पेंशन खाता संख्या (पीपीएएन) 16 अंकों की एक विशिष्ट स्थाई पेंशन खाता संख्या है जो नियमित सीआरए का कामकाज शुरू होने और एनएसडीएल-सीआरए द्वारा प्रैन जारी करने तक जीओआई के मंत्रालयों/विभागों में पीएओ द्वारा जारी किया जाता है। सात चयनित राज्य सरकारों के नमूने में से पाँच[39] में महाराष्ट्र, जहाँ पीपीएएन राज्य सरकार के नोडल कार्यालय द्वारा अभी भी जारी किया जाता है जो कि प्रैन जारी किये जाने से अलग है, के मामले को छोड़कर इसी प्रकार जारी किया जा रहा था।

4.2.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

सीजीए द्वारा जारी किये गये का.ज्ञा. (जनवरी 2004) को फरवरी 2004 के का.ज्ञा. के साथ पढ़े जाने पर, के अनुसार नव-नियुक्त सरकारी कर्मचारी से पूर्ण

---

[38] वे अभिदाता गैर-आईआरए (व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता) अनुपालक अभिदाता हैं जिनका सीआरए प्रणाली में पूर्ण केवाईसी विवरण (पता, फोटो, हस्ताक्षर, नामांकित व्यक्ति विवरण आदि) उपलब्ध नहीं हैं।

[39] आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र

जानकारी प्राप्त करने तथा जिस महीने कर्मचारी सरकारी सेवा में शामिल हुआ है उसके अगले महीने की सात तारीख तक पीएओ को भेजने की जिम्मेदारी संबंधित डीडीओ की थी और पीएओ द्वारा उसी महीने की 10 तारीख तक कर्मचारी को पीपीएएन जारी करना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से चार में, 62 चयनित डीडीओ में से नौ में, 79 चयनित अभिदाताओं (जिन्हें पीपीएएन जारी किया जा सकता था) में से 13 अभिदाताओं में पीपीएएन जारी करने में एक से 2009 दिनों का विलम्ब हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक VIII(क)** में वर्णित है।
- केन्द्रीय सरकार के 11 चयनित स्वायत्त निकायों में से दो में, 12 चयनित डीडीओ में से दो में, 18 चयनित अभिदाताओं में से चार अभिदाताओं को पीपीएएन जारी करने में 44-375 दिनों का विलम्ब हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक VIII(क)** में वर्णित है। विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

तालिकाः 4.3

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की वह संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत देरी
केन्द्रीय सरकार	62	09	79	13	373.77@
सीएबी	12	02	18	04	183.75

@ ज्यादातर मामलों में 01 से 200 दिनों के बीच की देरी थी, केवल 2 मामलों में 1900 से 2009 दिनों की देरी थी।

4.2.2 राज्य सरकारें और एसएबी

जैसा कि पैरा 3.10 में चर्चा की गई है, नई प्रणाली में शामिल होने का विकल्प राज्य सरकारों के लिए भी उपलब्ध था, जब भी वे निर्णय लेते, नई प्रणाली नये भागीदारों को समायोजित करने में सक्षम होगी। सात चयनित राज्य सरकारों ने एनपीएस अपनाने हेतु जनवरी 2004 और अगस्त 2006 के बीच अधिसूचना जारी कर दी थी।

लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया किः

- नौ राज्यों/यूटी में से तीन में, 250 कर्मचारियों (राज्य सरकार/यूटी के 150 चयनित डीडीओ में 40 डीडीओ जिनके कर्मचारी के पास पीपीएएन थे) में से 71 कर्मचारियों (23 डीडीओ में) को पीपीएएन जारी करने में विलम्ब पाया गया। 18 से 2,038 दिनों का विलम्ब था जैसा कि **अनुलग्नक VIII(ख)** में वर्णित है।
- आठ[40] राज्यों/यूटी में से एक में, 15 कर्मचारियों (कुल चयनित 33 डीडीओ में से एक डीडीओ में, जिसके कर्मचारियों के पास पीपीएएन था) में से 13 कर्मचारियों (एक एसएवी के डीडीओ में) के पीपीएएन जारी करने में विलम्ब पाया गया। 453 से 2,607 दिनों का विलम्ब हुआ, जैसा कि **अनुलग्नक VIII(ख)** में वर्णित है।

तालिका 4.4

राज्य सरकार/ एसएबी (राज्य/ यूटी में)	कुल चयनित डीडीओ	उन डीडीओ की संख्या जिनके पास पीपीएएन कर्मचारी थे	चयनित डीडीओ जहां विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	उन चयनित कर्मचारियों की संख्या जिनके पास पीपीएएन था	अभिदाताओं की संख्या जहां विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	40	23	2210	250	71	583.29 @
एसएबी	33	1	1	539	15	13	1,448#

@ ज्यादातर मामलों में एक से 1,200 दिनों का विलम्ब था तथा 5 मामलों में 1,500 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

ज्यादातर मामलों में 400 से 1,700 दिनों का विलम्ब था तथा 2 मामलों में 2,300 से अधिक दिनों का विलम्ब था।

इस प्रकार, पीपीएएन जारी होने में हुए विलम्ब के कारण जिन मामलों में भर्ती होने के महीने के अगले महीने में अंशदान की पहली कटौती प्रारम्भ नहीं हुई, उनमें अभिदाता को वास्तविक कटौती के महीनों और जिस महीने में कटौती होनी चाहिए थी, के बीच ब्याज का नुकसान हुआ (जबकि अभिदाता को इसके लिए कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी गई)।

डीएफएस ने अपने उत्तर में (दिसम्बर 2019) अपने विचार को व्यक्त किया कि भविष्य में विलम्ब को रोकने के लिए दोषी कर्मचारियों को दण्डित करने का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

---

[40] 9 राज्यों और यूटी के नमूने में से एक यूटी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कोई स्वायत्त निकाय चयनित नहीं था।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँचे गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.3 स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या जारी करने, एनपीएस अंशदान की कटौती इत्यादि में विलम्ब/लिया गया समय

सीजीए ने प्रावधान किया (सितम्बर 2008) कि प्रत्येक महीने के अंतिम कार्य दिवस तक एनपीएस अंशदान न्यासी बैंक में जमा हो जाने चाहिए। चयनित नमूनों की जाँच में पाया गया कि स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (प्रैन) जारी होने से लेकर, अंशदान की कटौती, पीएओ को बिल भेजने, पेंशन अंशदान, प्रैन, डीडीओ, राशि इत्यादि का विवरण रखने वाली अभिदाता अंशदान फाईल (एससीएफ) को अपलोड करने तक प्रत्येक चरण में विलम्ब हुआ था जिससे अंततः अंशदान के न्यासी बैंक में प्रेषण करने में विलम्ब होगा।

4.3.1 प्रैन जारी करने में लगा समय/विलम्ब

4.3.1.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

सीजीए के का.ज्ञा. (सितम्बर 2008) के अनुसार, एनपीएस बिलों को प्राथमिकता देनी थी ताकि वे हर महीने की 20 तारीख तक पीएओ में पहुँच सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनपीएस संबंधी गतिविधियों को करने हेतु समय-सीमा तैयार करने में राज्य सरकारों की सहायता हेतु पीएफआरडीए ने अधिकतम स्वीकार्य समय-सीमा को अन्तिम रुप दिया था। पीएफआरडीए ने राज्य सरकारों को भी ऐसी गतिविधियों हेतु अपनी समय-सीमा बनाने का अनुरोध किया तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई समय-सीमा पीएफआरडीए द्वारा उल्लेखित समय-सीमा से ज्यादा न हो। हालाँकि, अभिदाताओं द्वारा डीडीओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने, डीडीओ द्वारा पीएओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने और पीएओ द्वारा एनएसडीएल को प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा निर्धारित करने के लिये पीएफआरडीए द्वारा केन्द्रीय स्तर पर सक्षम प्राधिकारी को ऐसे कोई निर्देश जारी नहीं किये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि अभिदाताओं द्वारा डीडीओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने, डीडीओ द्वारा पीएओ को प्रपत्र प्रस्तुत करने और पीएओ द्वारा एनएसडीएल को प्रपत्र प्रस्तुत करने हेतु समय-सीमा को निर्धारित नहीं किया गया। अतः जैसा कि एक नये कर्मचारी के वेतन बिलों (एनपीएस कटौती सहित) को पीएओ भेजने की समय-सीमा अगले महीने की 20 तारीख थी, लेखापरीक्षा ने केन्द्रीय सरकार के

मंत्रालय/विभागों में प्रैन बनाने में हुए विलम्ब की गणना, सेवा में शामिल होने के माह के बाद वाले महीने की 21 तारीख से की है।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों के 15 चयनित प्रधान एओ में, 62 चयनित डीडीओ में से 58 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 683 अभिदाताओं को प्रैन जारी करने में एक दिन से 1,986 दिनों का विलम्ब हुआ जैसा कि **अनुलग्नक IX** में वर्णित है।
- केन्द्रीय सरकार की 11 चयनित एबी में, सीएबी के 12 चयनित डीडीओ में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 168 अभिदाताओं को प्रैन जारी करने में 20 दिनों से 2,435 दिनों का विलम्ब हुआ जैसा कि **अनुलग्नक IX** में वर्णित है। एक सीएबी में, 13 में से नौ कर्मचारियों के सम्बंध में, एनपीएस के तहत पंजीकरण तक ₹3.49 लाख के कर्मचारी अंशदान की कटौती नहीं हुई। विवरण नीचे तालिका में दिया गया हैः

तालिकाः4.5

केन्द्रीय सरकार/ सीएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ की संख्या जहां विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जहां विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत देरी
केन्द्रीय सरकार	62	58	901	683	138.20@
सीएबी	12	12	172	168	348.34#

@ ज्यादातर मामलों में एक से 200 दिनों का विलम्ब हुआ।

ज्यादातर मामले में एक से 400 दिनों का विलम्ब हुआ और 11 मामलों में 2,000 दिनों से अधिक का विलम्ब हुआ।

4.3.1.2 राज्य सरकार/यूटी और एसएबी

सात चयनित राज्यों में से आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं कर्नाटक में आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करने व उसे सीआरए को प्रेषित करने के लिये समय-सीमा निर्धारित थी।

लेखापरीक्षा ने प्रैनों को निर्गत करने में विलम्ब[41]/अनावश्यक समय लेना पाया:

[41] विलम्ब/लिये गये समय की गणना कार्य ग्रहण की तिथि या एनपीएस में डीडीओ पंजीकरण की तिथि, जो बाद में हो, से की गई है।

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से छः में, 150 डीडीओ में 77 में, 2,210 चयनित कर्मचारियों में से 990 में प्रैन को निर्गत करने में विलम्ब/लिया गया समय 26 से 1,886 दिनों तक था, जैसा कि **अनुलग्नक X(क)** में वर्णित है, और
- 33 चयनित एसएबी, डीडीओ में 20 में, 539 चयनित कर्मचारियों में 266 के प्रैनों को निर्गत करने में 15 दिनों से 4,015 दिनों का समय लिया गया जैसा कि **अनुलग्नक X(ख)** में वर्णित है।

तालिका 4.6

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ अनुचित समय लिये जाने के मामले जानकारी में आये	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जहाँ में अनुचित समय लगने के मामले की जानकारी हुई	लिया गया औसत समय (दिनों में)
राज्य सरकार	150	77	2210	999	169.4@
एसएबी	33	20	539	266	419.04#

@ अधिकतर अनुचित समय लगने के मामलों की समयावधि एक दिन से 200 दिनों तक थी एवं चार मामलों में अनुचित समय लगने की समयावधि 1,600 दिनों से अधिक थी।

अधिकतर अनुचित समय लगने के मामलों की समयावधि एक दिन से 200 दिनों तक थी एवं दो मामलों में अनुचित समय लगने की समयाविधि 2,500 दिनों से अधिक थी।

और आगे की लेखापरीक्षा जाँच ने कुछ चयनित राज्यों में सभी पात्र कर्मचारियों के प्रैनों को जारी करने के सम्बन्ध में विलम्ब/जारी नहीं करने के निम्न मामलों एवं इसके परिणाम को दर्शाया :

- **उत्तराखण्ड**:
  - i. उन कर्मचारियों के सम्बंध में जो अगस्त 2010 से सेवा में आये, 37,798 प्रैन को जारी करने में सेवा में आने की तिथि से दो महीने से 36 महीने का विलम्ब था।
  - ii. पाँच चयनित डीटीओ में 10,321 अभिदाताओं को प्रैन जारी करने में दो महीने से 36 महीनों का विलम्ब था।
- **हिमाचल प्रदेश :**
  - i. अगस्त 2016 से मार्च 2018 के दौरान, 12,578 प्रैन में से 11,566 को 61 दिनों से 757 दिनों के विलम्ब से जारी किया गया।
  - ii. 20 चयनित डीडीओ में से 12 में, 282 कर्मचारी सितम्बर 2010 एवं सितम्बर 2017 के बीच सेवा में आये और प्रैन को छः से 87 महीने

की देरी के बाद भी जारी नहीं किया गया (31 मार्च 2018)। परिणामस्वरूप ₹1.92 करोड़ का एनपीएस अंशदान उनके वेतनों से वसूल नहीं किया गया और ₹1.92 करोड़ का बराबर का अंशदान भी प्रैन के जारी न होने के कारण उनके एनपीएस खातों में शामिल नहीं किया गया।

iii. अक्तूबर 2004 से सितम्बर 2018 के बीच 155 चयनित कर्मचारियों से ₹32.23 लाख का बकाया अंशदान वसूल नहीं किया गया, और

iv. नवम्बर 2008 और फरवरी 2015 के बीच 30 चयनित कर्मचारियों से ₹26.06[42] लाख का बकाया अंशदान वसूल नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि अभिदाताओं से विधिवत रूप से भरे हुए आवेदन प्रपत्र विलम्ब से प्राप्त होने अथवा त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण विवरण के साथ प्रपत्र प्राप्त होने और कार्यविधि सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त करने में देरी के कारण प्रैन को जारी करने में विलम्ब हुआ। प्रैन जारी करने में विलम्ब के परिणामस्वरूप न्यासी बैंक को राशि प्रेषित करने में विलम्ब हुआ।

डीएफएस ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2019) कि पीएफआरडीए ने सूचित किया कि सन्दर्भित विलम्ब मुख्यत: सम्बन्धित नोडल कार्यालयों से सम्बन्धित थे, तदनुसार, इन विलम्बों का कारण सम्बन्धित नोडल कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराया जाए।

प्रैन को विलम्ब से जारी करने से अभिदाता एवं उसके नियोक्ता के अंशदान एवं उस पर प्राप्ति के बराबर (जहाँ पर इस प्रकार का अंशदान एवं प्राप्ति बाद में अभिदाता के एनपीएस खाते में उपलब्ध नहीं कराया गया है) एनपीएस निधि में नुकसान होगा, जिसके परिणामस्वरूप इसकी अंतिम सम्पत्ति प्रभावित होगी।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँचे गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

<u>अच्छे क्रियाकलाप</u>

कर्नाटक राज्य ने प्रैन प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों को भरने एवं जमा करने की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों की समय-सीमा के साथ-साथ, डीडीओ एवं कोषागार अधिकारियों की भूमिका एवं कर्तव्य तय किये। लेखापरीक्षा ने पाया कि यह एक अच्छा क्रियाकलाप है जिसे औरों द्वारा सन्दर्भ में लिया जा सकता है।

---

[42] जैडपी, मण्डी ₹14.39 लाख एवं जैडपी, काँगड़ा ₹11.67 लाख

4.3.2 एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब

4.3.2.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं सीएबी

सीजीए द्वारा जारी का.ज्ञा. (जनवरी 2004), सपठित का.ज्ञा. (फरवरी 2004) के अनुसार, वसूलियों को सरकारी कर्मचारी के सेवा में आने वाले माह के अगले माह से प्रारंभ करना था और वसूलियों को उस माह से प्रभाव में नहीं लाना था जिस माह अभिदाता सरकारी सेवा में आया था। डीओई, का.ज्ञा. (नवम्बर 2003) के अनुसार, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले स्वायत्त निकायों में 01 जनवरी 2004 या उसके बाद सेवा में आने वाले सभी नव-नियुक्त एनपीएस के द्वारा शासित होंगे **{अनुलग्नक XI(क)}**।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से छः में, 62 चयनित डीडीओ में 14 में, 901 चयनित अभिदाताओं में 63 की एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब एक से 13 महीने तक था, और
- 11 चयनित सीएबी में चार में, सीएबी के 12 चयनित डीडीओ में से पाँच में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 45 की प्रथम एनपीएस कटौती में विलम्ब एक से 79 महीने था।

तालिका: 4.7

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें विलम्ब पाया गया	माह में औसत विलम्ब
केन्द्रीय सरकार	62	14	901	63	3.36
सीएबी	12	05	172	45	9.06[#]

अधिकतर मामलों में विलम्ब एक से 24 माह था और केवल एक मामले में विलम्ब 79 माह था।

एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब का तात्पर्य अभिदाता के व्यक्तिगत प्रैन में अंशदान जमा कराने में विलम्ब था जिसके कारण उस अवधि के लिए एनपीएस निधि में अभिदाता एवं उसके नियोक्ता के अंशदान एवं उस पर प्राप्ति के बराबर नुकसान होगा जिससे उसकी अंतिम सम्पत्ति प्रभावित होगी (जहाँ पर इस प्रकार का अंशदान एवं उस पर प्राप्ति बाद में अभिदाता के एनपीएस खाते में उपलब्ध नहीं करायी गई।)

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में सूचित किया कि सीजीए ने कहा कि प्रैन प्राप्त करने के लिए दस्तावेजों का संचलन भौतिक रुप से होता है, जो

कि समाप्त किया जा सकता है। एनएसडीएल/सीआरए को प्रैन संख्या निर्मित करने के लिए एक ऑनलाइन मंच उपलब्ध कराना चाहिए। पंजीकरण प्रपत्र अभिदाताओं द्वारा ऑनलाइन भरा जाना चाहिए। एनपीएस अभिदाता को समय पर प्रैन आबंटित करके एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब की समस्या का समाधान किया जा सकता है। आगे यह कहा गया कि डीडीओ/पीएओ आदि द्वारा की जाने वाली विभिन्न एनपीएस गतिविधियों के लिए अनुदेशों की आवश्यकता है जिसमें दोषी कर्मचारियों पर उचित दण्ड का प्रावधान शामिल है।

हालाँकि, यह पाया गया कि सरकारी नोडल कार्यालय (सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारियों) पर एनपीएस सम्बन्धित गतिविधियों के विलम्ब के लिए कोई दण्डनीय प्रावधान नहीं है। एनपीएस के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए गठित की गई समिति ने भी अनुशंसा की (फरवरी 2018 में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन के द्वारा) कि दोषी कर्मचारियों की जिम्मेदारी एवं देय धनराशि उस आधार पर निर्धारित करनी चाहिए जैसे आयकर नियमों के तहत टीडीएस की कटौती/प्रेषण विलम्ब से करने पर किया जाता है। डीएफएस ने सूचित किया कि (मई 2020) एनपीएस अंशदानों की कटौती और जमा कराने में विलम्ब के लिये सरकारी नोडल कार्यालय को दंडित करने हेतु सक्षम प्रावधान सम्मिलित करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे बताया (मई 2020) कि आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू. द्वारा भी इसी तरह के उपाय (जैसा कि 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया) किये जा सकते हैं। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में उचित स्पष्टीकरण ऐसे सभी निकायों को जारी करें क्योंकि इन निकायों पर एनपीएस लागू होना डीओई द्वारा निर्धारित किया गया था।

4.3.2.2 राज्य सरकारें एवं एसएबी

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश[43], कर्नाटक, महाराष्ट्र एवं एन.सी.टी. दिल्ली की राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों के अनुसार, वेतन से वसूलियाँ (एनपीएस अंशदान के अन्तर्गत) जिस माह में सरकारी कर्मचारी सेवा में आया, उसके अगले माह से की जानी थीं और वसूलियाँ सरकारी सेवा में आने वाले माह से नहीं लागू की जानी थी। हालाँकि, आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक के मामले में यदि कर्मचारी किसी माह की प्रथम तिथि को सेवा में आया है तो सेवा में आने वाले माह में ही एनपीएस की पहली कटौती की गई।

---

[43] मापदंड हिमाचल सड़क परिवहन निगम द्वारा निर्धारित किये गये थे, न कि राज्य सरकार द्वारा

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से चार में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 46 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 294 अभिदाताओं की एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब एक से 65 माह था, जैसा कि **अनुलग्नक XI(ख)** में वर्णित है, और
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से तीन में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 90 अभिदाताओं की एनपीएस अंशदान की पहली कटौती में विलम्ब एक से 28 माह था, जैसा कि **अनुलग्नक XI(ख)** में वर्णित है।

तालिका: 4.8

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जिनमें विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें विलम्ब पाया गया	माह में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	46	2210	294	8.74@
एसएबी	33	7	539	90	4.6#

@ अधिकतर मामलों में एक से चार माह तक का विलम्ब था और नौ मामलों में 46 माह से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से तीन माह तक का विलम्ब था और 11 मामलों में 15 माह से अधिक का विलम्ब था।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँचे गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.4 पीएओ तक बिल पहुँचने में विलम्ब

4.4.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं सीएबी

सीजीए ने निर्धारित किया (सितम्बर 2008) कि एनपीएस बिलों को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक पीएओ को पहुँचा दिये जाएँ।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से छः में, 62 चयनित डीडीओ में से 18 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 229 में, एक से 189 दिनों का विलम्ब था, **{अनुलग्नक XII(क)}**; और

- केन्द्रीय सरकार के 11 चयनित एबी में से दो में, 12 चयनित डीडीओ में से तीन में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 31 के संबंध में, एक से 54 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XII(क)}**

तालिका: 4.9

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	दिनों में औसत विलम्ब
केन्द्रीय सरकार	62	18	901	229	5.75@
सीएबी	12	03	172	31	10.60#

@ अधिकतर मामलों में एक से 10 दिनों का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से 20 दिनों का विलम्ब था।

डीडीओ द्वारा उल्लेखित विलम्ब के कारणों में सॉफ्टवेयर के संबंध में परिचित न होना और अपर्याप्त जानकारी, कर्मचारियों का बारी-बारी से स्थानान्तरण और अन्य तकनीकी मुद्दे थे।

पीएओ/डीटीओ को विलम्ब से प्रस्तुत किये गये एनपीएस वेतन बिलों के कारण एनपीएससीएएन में एस.सी.एफ को अपलोड करने की समय-सीमा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

डीएफएस (दिसम्बर 2019) ने उत्तर दिया कि चूँकि बिल के विलम्ब से पीएओ तक पहुँचने के कारण कटौती में एवं अभिदाता के एनपीएस खाते में जमा में विलम्ब होता है, अतः नोडल कार्यालयों द्वारा डीएफएस की दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुरुप क्षतिपूर्ति के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। जैसा कि पहले भी कहा गया है, सरकार द्वारा इन मामलों में दण्डनीय प्रावधान लगाये जाने पर विचार किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे उत्तर दिया कि (मई 2020) वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए स्वायत्त निकायों/पी.एस.यू द्वारा भी इसी प्रकार के उपाय (जैसा कि 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया) किये जा सकते हैं। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में ऐसे सभी निकायों को उचित स्पष्टीकरण जारी किये जायें क्योंकि इन निकायों में एनपीएस की प्रयोज्यता डीओई द्वारा निर्धारित की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि एनपीएस अंशदानों की कटौती एवं जमा करवाने में विलम्ब के लिये सरकारी नोडल कार्यालय पर जुर्माना लगाने के लिए सक्षम प्रावधान को शामिल करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम में बदलाव किये जा रहे हैं।

4.4.2 राज्य सरकारें एवं एसएबी

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से एक में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 20 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 285 अभिदाताओं के लिए, वेतन माह के अंतिम दिन से प्रारम्भ करते हुये, बिल को डीडीओ/डीटीए तक पहुँचने में एक से 838 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XII(ख)}** और
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से एक में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से दो में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 29 अभिदाताओं के लिए, वेतन माह की अंतिम तिथि से प्रारम्भ करते हुये बिल को डीडीओ/डीटीए तक पहुँचने में दो से 815 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XII(ख)}**।

तालिका 4.10

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	20	2210	285	37.25@
एसएबी	33	2	539	29	31.38#

@ अधिकतर मामलों में एक दिन से 400 दिनों का विलम्ब था, चार मामलों में 700 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक दिन से 400 दिनों का विलम्ब था और पाँच मामलों में 500 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.5 एससीएफ को अपलोड करने/ट्राँजैक्शन आईडी की प्राप्ति में विलम्ब

सीजीए ने निर्धारित किया था (सितम्बर 2008) कि पीएओ को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक अभिदाता अंशदान का विवरण एनपीएससीएएन में अपलोड करना चाहिये और ट्राँजैक्शन आईडी प्राप्त करनी चाहिये।

4.5.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग एवं सीएबी

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में, 62 चयनित डीडीओ में से 61 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 817 में, अभिदाता अंशदान

विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्रॉजैक्शन आईडी प्राप्त करने में एक से 3,175 दिनों का विलम्ब था। **{अनुलग्नक XIII(क)}**, और

- 12 चयनित डीडीओ (11 चयनित सीएबी) में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 163 अभिदाताओं के संदर्भ में अभिदाता अंशदान विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्रॉजैक्शन आईडी प्राप्त करने में एक से 404 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIII(क)}**

तालिका 4.11

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	दिनों में औसत विलम्ब
केन्द्रीय सरकार	62	61	901	817	18.05[@]
सीएबी	12	12	172	163	11.74[#]

@ अधिकतर मामलों में एक से 20 दिनों का विलम्ब था केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें 3,175 दिनों का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से 20 दिनों का विलम्ब था केवल एक मामले को छोड़कर जिसमें 404 दिनों का विलम्ब था।

एससीएफ को अपलोड करने में विलम्ब के कारण न्यासी बैंक को अंशदान प्रेषित करने में विलम्ब होता है, जो अभिदाता के प्रैन खाते में अंशदान को समय पर जमा होना प्रभावित करता है।

4.5.2 राज्य सरकारें एवं राज्य स्वायत्त निकाय

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से एक में, 150 चयनित डीडीओ में से 19 में, 2,210 अभिदाताओं में से 285 अभिदाताओं के मामले में, अभिदाता अंशदान विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्रॉजैक्शन आईडी प्राप्त करने में दो से 1,582 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIII(ख)}**।
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से दो में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से नौ में, 539 अभिदाताओं में से 117 अभिदाताओं के मामले में, अभिदाता अंशदान विवरण को एनपीएससीएएन में अपलोड करने एवं ट्रॉजैक्शन आईडी प्राप्त करने में एक से 1,403 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIII(ख)}**।

तालिका: 4.12

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	दिनों में औसत विलम्ब
राज्य सरकार	150	19	2210	285	216.33[@]
एसएबी	33	9	539	117	86.74[#]

@ अधिकतर मामलों में एक दिन से 100 दिनों का विलम्ब था और 15 मामलों में 1500 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक दिन से 300 दिनों का विलम्ब था और छः मामलों में 800 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

डीडीओ से बिल विलम्ब से प्राप्त होना, कर्मचारियों की कमी, जमा करवाने के लिए समय-सीमा का अभाव, विभिन्न कार्यक्षेत्र इकाईयों/डीटीओ एवं पीएओ से आँकड़े प्राप्त करने में विलम्ब, एससीएफ के लिए डीटीए से अनुमोदन/अनुमति मिलने में विलम्ब, मासिक लेखाओं के संकलन में विलम्ब और जागरूकता की कमी इत्यादि एससीएफ को अपलोड करने में विलम्ब के कारण थे।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.6 न्यासी बैंक को अंशदान भेजने में विलम्ब

4.6.1 केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

सीजीए ने निर्धारित किया था (सितम्बर 2008) कि प्रत्येक माह के अंतिम कार्यदिवस पर एनपीएस अंशदान को न्यासी बैंक के खाते में जमा करवाना चाहिये। आगे, इसके अन्तर्गत आने वाले सभी अभिदाताओं के संदर्भ में न्यासी बैंक को समय से प्रेषण की जिम्मेदारी पीएओ की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- केन्द्रीय सरकार के 15 चयनित प्रधान एओ में से 14 में, 62 चयनित डीडीओ में से 45 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 509 के सम्बन्ध में, न्यासी बैंक में ₹181.78 लाख की धनराशि एक से 770 दिनों के विलम्ब के साथ जमा करवाई गई **{अनुलग्नक XIV(क)}** और
- 12 चयनित डीडीओ में से दस में, (11 चयनित सीएबी में से 10 के सम्बंध में) केन्द्रीय सरकार के एबी के 172 चयनित अभिदाताओं में से

133 के संबंध में, ₹81.25 लाख की धनराशि एक दिन से 404 दिनों के विलम्ब के साथ जमा करवाई गई **{अनुलग्नक XIV(क)}**।

तालिका: 4.13

केन्द्रीय सरकार/सीएबी	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब देखा गया	दिनों में औसत विलम्ब
केन्द्रीय सरकार	62	45	901	509	15.53@
सीएबी	12	10	172	133	13.26#

@ अधिकतर मामलों में एक से 30 दिनों का विलम्ब था और केवल दो मामलों में 700 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक से 30 दिनों का विलम्ब था और एक मामले में 404 दिनों का विलम्ब था।

इसके अतिरिक्त, पाँच चयनित डीडीओ में से दो डीडीओ (विधि विभाग और आयकर अपील अधिकरण) में दस चयनित अभिदाताओं में से चार के संबंध में ₹2.46 लाख का लीगेसी अंशदान सात माह के विलम्ब के साथ न्यासी बैंक में जमा करवाया गया।

अंशदान को न्यासी बैंक में भेजने में विलम्ब अभिदाता के खाते में अंशदान को समय पर जमा करवाने पर प्रभाव डालता है।

डीएफएस ने स्वीकार किया (दिसम्बर 2019) कि इस तरह के मामले अभिदाता को वित्तीय नुकसान पहुँचा सकते हैं। इसने आगे कहा कि हाल ही में, प्रक्रिया को सरल करने के लिए दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के माध्यम से केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में केवल 2004-12 के दौरान हुए विलम्ब के कारण क्षतिपूर्ति के लिए प्रावधान अधिसूचित किये गये। इसके अतिरिक्त, एनपीएस को सरल करने के उपाय सुझाने के लिए गठित की गई समिति की अनुशंसा के आधार पर सरकार द्वारा 2012 के बाद के मामलों के लिए क्षतिपूर्ति तथा दण्डात्मक प्रावधानों को लागू करने पर विचार किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे उत्तर दिया कि (मई 2020) वित्तीय नुकसान की भरपाई करने के लिए स्वायत्त निकायों/पीएसयू द्वारा भी इसी तरह के उपाय (जैसा कि दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित किया गया) किये जा सकते हैं। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में ऐसे सभी निकायों को उपयुक्त स्पष्टीकरण जारी किये जायें क्योंकि इन निकायों में एनपीएस की प्रयोज्यता डीओई द्वारा निर्धारित की गई थी। यह भी सूचित किया गया कि एनपीएस अंशदानों की

कटौती एवं जमा करवाने में विलम्ब के लिये सरकारी नोडल कार्यालय पर दण्डात्मक कार्रवाई करने के सक्षम प्रावधान को शामिल करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

4.6.2 राज्य सरकारें और एसएबी

हिमाचल प्रदेश में वेतन की तारीख से 12 दिनों में एनपीएस अंशदान की गणना करने, अपलोड करने और जमा कराने की समय-सीमा तय की गई थी, किन्तु न्यासी बैंक में अंशदान जमा कराने की कोई निश्चित तिथि निर्धारित नहीं की गई। महाराष्ट्र में दो वेतन बिल चक्रों (माह की पहली से 18वीं तारीख तक एवं 19वीं से माह के अन्त तक) के संदर्भ में राज्य सरकार ने जमा कराने के लिए समय-सीमा (माह के अंतिम दिन से पहले और अगले माह की 15वीं से पहले) निर्धारित की थी। शेष राज्यों में, न्यासी बैंक को अंशदान भेजने की कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- नौ चयनित राज्यों/यूटी में से चार में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 61 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 769 में, एक से 1,199 दिनों का विलम्ब था **{अनुलग्नक XIV(ख)}**, तथा
- आठ चयनित राज्यों/यूटी में से दो में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 94 में, भेजने में एक से 242 दिनों का विलम्ब/समय लिया गया था **{अनुलग्नक XIV(ख)}**।

तालिका: 4.14

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी में)	चयनित डीडीओ की संख्या	डीडीओ की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	चयनित डीडीओ में अभिदाताओं की कुल संख्या	अभिदाताओं की संख्या जहाँ विलम्ब पाया गया	औसत विलम्ब दिनों में
राज्य सरकार	150	61	2210	769	14.10[@]
एसएबी	33	7	539	94	53.12[#]

@ अधिकतर मामलों में एक दिन से 100 दिनों का विलम्ब था और दो मामलों में 900 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

अधिकतर मामलों में एक दिन से 300 दिनों का विलम्ब था और 100 मामलों में 240 दिनों से अधिक का विलम्ब था।

और आगे की लेखापरीक्षा जाँच ने सभी पात्र कर्मचारियों के अंशदान को न्यासी बैंक में भेजने में विलम्ब के निम्नलिखित उदाहरण दर्शाये:

- **हिमाचल प्रदेशः**

i. डीटीए शिमला ने वेतन तिथि से 16 से 35 दिनों की अवधि के पश्चात् ₹900.21 करोड़ की राशि जनवरी 2011 से जुलाई 2016[44] के मध्य न्यासी बैंक को भेजी। आगे, इसी डीटीए में ₹227.86 करोड़ की धनराशि वेतन तिथि से 12 दिनों के पश्चात एक से आठ दिनों के विलम्ब से सितम्बर 2016 से नवम्बर 2017 के बीच न्यासी बैंक को भेजी गई।

ii. हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी) में ₹8.62 करोड़ की धनराशि वेतन के भुगतान के 21 से 75 दिनों के बाद जनवरी 2015 से जुलाई 2016 के मध्य न्यासी बैंक को भेजी गई। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के द्वारा धनराशि भेजने की निर्धारित तिथि के 10 से 15 दिनों के पश्चात् ₹6.10 करोड़ की धनराशि अक्तूबर 2016 से मार्च 2018 के मध्य न्यासी बैंक को भेजी गई।

इसके अतिरिक्त, डीटीए ने आँकड़ों को स्थानान्तरित करने के लिए कोई तिथि सुनिश्चित नहीं की जिसके परिणामस्वरूप एचआरटीसी द्वारा 681 अभिदाताओं के खातों में पड़े ₹5.97 करोड़ को एनएसडीएल/न्यासी बैंक को स्थानान्तरित करने में पाँच वर्ष और चार माह का विलम्ब हुआ। धनराशि को जुलाई 2018 से अक्तूबर 2018 के मध्य हस्तान्तरित किया गया, जबकि एचआरटीसी द्वारा योजना को मार्च 2013 में अंगीकृत किया गया था। नवम्बर 2018 को शेष 91 अभिदाताओं की ₹3.24 करोड़ की अंशदान धनराशि अभी भी एचआरटीसी द्वारा हस्तान्तरित की जानी है।

iii. हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) में फरवरी 2013 से जुलाई 2016 के मध्य ₹36.30 करोड़ के एनपीएस अंशदान को न्यासी बैंक को चार से 50 दिनों के विलम्ब के साथ जमा कराया गया। आगे, राज्य सरकार द्वारा धनराशि भेजने की निर्धारित तिथि के दो से 11 दिनों के विलम्ब के साथ अक्तूबर 2016 से मार्च 2018 के मध्य ₹6.08 करोड़ को न्यासी बैंक को भेजा गया।

---

[44] जून 2016 तक एनपीएस अंशदान को भेजने की कोई समयसीमा राज्य सरकार द्वारा निश्चित नहीं की गई थी। जुलाई 2016 में , एनपीएस अंशदान की गणना करने, अपलोड करने व उसे भेजने के लिये वेतन तिथि से 12 दिन की समय-सीमा निर्धारित की गई।

iv. जिला परिषद् काँगड़ा में, अप्रैल 2015 से मार्च 2018 की अवधि का ₹49.12 लाख का एनपीएस अंशदान 83 से 496 दिनों के बाद न्यासी बैंक को भेजा गया।

v. जिला परिषद् मण्डी में, नवम्बर 2014 से मार्च 2018 की अवधि का ₹40.82 लाख का एनपीएस अंशदान 26 से 241 दिनों के बाद न्यासी बैंक को भेजा गया।

- **आंध्र प्रदेशः**

i. एएनजीआरएयू[45] में, 501 अभिदाताओं के लिए ₹1.28 करोड़ के ब्याज के साथ ₹17.28 करोड़ की लीगेसी धनराशि (नवम्बर 2006 से मार्च 2015 की अवधि से संबंधित) मार्च 2016 में एक वर्ष से नौ वर्ष एवं चार माह के विलम्ब के साथ जमा कराई गई।

ii. तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम में, ₹44.77 करोड़ की लीगेसी धनराशि पाँच माह से अधिक के विलम्ब के साथ सितम्बर 2015 में जमा करायी गई।

iii. राजीव गाँधी ज्ञान तकनीकी विश्वविद्यालय में ₹1 करोड़ की लीगेसी धनराशि को दो वर्षों से अधिक विलम्ब के साथ मार्च/अप्रैल 2018 में जमा कराया गया।

डीडीओ द्वारा विलम्ब से वेतन बिलों को प्रस्तुत करने, वेतन पैकेज में फाइल अपलोड करने में तकनीकी खामियों, एनपीएस अनुदानों की अनुपलब्धता, जनशक्ति की कमी इत्यादि के कारण न्यासी बैंक को धनराशि विलम्ब से भेजी गई।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किये गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.6.3 अंतिम पेंशन निधि में क्षरण

पीएफआरडीए (फरवरी 2008) ने वित्त मंत्रालय को सूचित किया कि यह अति महत्वपूर्ण है कि सभी नोडल कार्यालय और व्यक्ति विशेष अभिदाताओं को 1 जून 2008 तक पंजीकृत किया जाए जिससे निवेश के उद्देश्य के लिए व्यक्ति विशेष सक्षम अभिदाता-वार अंशदान को स्वीकार किया जाए। पीएफआरडीए ने

[45] आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय

यह भी सूचित किया कि इसमें किसी प्रकार का विलम्ब एनपीएस अभिदाता की पेंशन बचत पर दुष्प्रभाव डालेगा। यह जोड़ते हुये कहा कि उनके मूल्यांकन ने इंगित किया कि निधियों के हस्तान्तरण में एक दिन का विलम्ब एक कर्मचारी की अंतिम पेंशन निधि को ₹40,000 से कम करेगा। प्रतिदिन का ₹40,000 का नुकसान विचारते हुये, इस विलम्ब (जैसा कि पैरा 4.6 में चिन्हित किया गया है) के कारण अंतिम पेंशन निधि में क्षरण की परास (न्यूनतम-अधिकतम) का मूल्यांकन ₹40,000-₹3,08,00,000 केन्द्र सरकार के लिए, ₹40,000-₹1,61,60,000 सीएबी के लिए, ₹40,000-₹4,79,60,000 राज्य सरकार के लिये, ₹40,000-₹96,80,000 एसएबी के लिए किया गया है।

4.6.4 क्षतिपूर्ति का सांकेतिक नुकसान

औम्बुडसमेन[46] ने पीओपी सेवा प्रदाता द्वारा परिचालन क्रियाकलापों के लिये दिशानिर्देश को, जो कि पीएफआरडीए द्वारा 18 जून 2015 को जारी किया गया था, का हवाला दिया और निर्देश दिया कि ₹20 प्रतिदिन न्यासी बैंक को भुगतान में विलम्ब के लिए दे। इस ₹20 प्रतिदिन के अनुदान को देखते हुए, इस विलम्ब की वजह से क्षतिपूर्ति के अनुमानित नुकसान की परास (न्यूनतम-अधिकतम) को ₹20-₹15,400 केन्द्र सरकार के लिए, ₹20-₹8,080 सीएबी के लिए ₹20-₹23,980 राज्य सरकार के लिए, ₹20-₹4,840 एसएबी के लिए मूल्यांकित किया गया।

हालाँकि, इस विलम्ब की वजह से अभिदाता को वास्तविक नुकसान उपरोक्त दो स्थितियों में दिये गये नुकसान के कहीं मध्य में होगा, अर्थात् ₹20 और ₹40,000 प्रतिदिन के बीच।

4.7 कर्मचारी के अंशदान की वेतन से कटौती में विसंगतियां

4.7.1 एनपीएस अंशदान की कटौती नहीं होना

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखण्ड और केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों के अनुसार, प्रत्येक नोडल कार्यालय मूल वेतन और महंगाई भत्ते (यदि कोई हो) का 10 प्रतिशत, एनपीएस कर्मचारी के वेतन बिल से हर महीने कटौती करेगा, उसके साथ राज्य सरकार द्वारा समान अंशदान दिया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

---

[46] पीएफआरडीए (अभिदाता की शिकायतों का निवारण) विनियमन, 2015 के अन्तर्गत आने वाली शिकायतों की प्राप्ति, उन पर विचार व उनके समाधान के लिये पीएफआरडीए द्वारा लोकपाल की नियुक्ति की गई है।

- नौ चयनित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से चार में, राज्यों के 150 चयनित डीडीओ में से 48 में, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 457 अभिदाताओं के लिए ₹1.55 करोड़ राशि की कटौती नहीं की गई थी (31 मार्च 2018 तक), **{अनुलग्नक XV(क)}**; तथा
- आठ चयनित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से चार में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाता में से 76 के लिए ₹8.21 लाख की राशि की कटौती[47] नहीं की गई (31 मार्च 2018 तक), **{अनुलग्नक XV(क)}**।

तालिकाः 4.15

राज्य सरकार/ एसएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ मुद्दा देखा गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें मुद्दा देखा गया	नहीं काटी गई राशि का औसत (₹ में)
राज्य सरकार	150	48	2210	457	1,512.17@
एसएबी	33	7	539	76	3,246.03#

@ अधिकांश उदाहरण ₹1,200 से ₹1,900 की सीमा में थे और दो उदाहरणों में राशि ₹2,700 से अधिक थी।

#अधिकांश उदाहरण ₹1 से ₹2,000 की सीमा में थे और पाँच उदाहरणों में राशि ₹25,000 से अधिक थी।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

<u>अच्छी कार्यप्रणाली</u>

लेखापरीक्षा ने देखा कि कुछ चयनित राज्यों द्वारा अपनाई गई अच्छी कार्यप्रणाली का पालन किया गया जो नीचे वर्णित हैः

- आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेशः किसी भी महीनों में किसी विशेष कर्मचारी से वसूली न करने के कारणों को बिना विफलता के, वसूली अनुसूची में संबंधित डीडीओ द्वारा प्रस्तुत किया जाना था।
- महाराष्ट्रः डीडीओ को यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रुप से कर्त्तव्य सौंपा गया कि कर्मचारी और नियोक्ता का अंशदान अनिवार्य रुप से मासिक आधार पर किया गया है।

---

47 इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने पाया कि एचआरटीसी (हिमाचल प्रदेश) में पाँच अचयनित अभिदाताओं से ₹3.01 लाख की कटौती नहीं की गई।

4.7.2 एनपीएस अंशदान में कम कटौती

4.7.2.1 केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

वित्त मंत्रालय की अधिसूचना (दिसम्बर 2003) के अनुसार, मासिक अंशदान वेतन और डीए का 10 प्रतिशत होगा जिसका कर्मचारी द्वारा भुगतान किया जाएगा और केन्द्र सरकार द्वारा समान राशि प्रदान की जाएगी। सीजीए का.ज्ञा. (सितम्बर 2008) के अनुसार, प्रत्येक अभिदाता के लिए अंशदान की सही और समय पर कटौती की जिम्मेदारी डीडीओ की है, ऐसा योजना के अंतर्गत अनिवार्य है।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- केन्द्र सरकार के 15 चयनित प्रधान लेखा कार्यालय में से 12 में, 901 चयनित अभिदाताओं में से 149 के संबंध में, 62 चयनित डीडीओ में से 29 में, संचयी रुप से ₹2.95 लाख **{अनुलग्नक XVI(क)}** का कम अंशदान काटा गया। इससे सरकार द्वारा उसी सीमा तक सह-अंशदान का कम भुगतान किया गया।
- केन्द्र सरकार के 11 चयनित स्वायत्त निकायों में से सात में, 12 चयनित डीडीओ में से सात में, 172 चयनित अभिदाताओं में से 42 के संबंध में ₹0.26 लाख के कम अंशदान **{अनुलग्नक XVI(ख)}** की कटौती की गई। इसके परिणामस्वरुप एबी द्वारा उसी सीमा तक सह-अंशदान का कम भुगतान किया गया है।

तालिकाः 4.16

केन्द्र सरकार/सीएबी	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ मुद्दा देखा गया	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें मुद्दा देखा गया	नहीं काटी गई राशि का औसत (₹ में)
केन्द्र सरकार	62	29	901	149	791.51@
सीएबी	12	7	172	42	168.36

@ अधिकांश उदाहरण ₹01 से ₹100 तक की सीमा में थे।

डीएफएस ने अपने उत्तर (दिसम्बर 2019) में अपने विचार व्यक्त किया कि उन मामलों में जहां कम कटौती की गई है, डीएफएस की अधिसूचना दिनांक 31 जनवरी 2019 के अनुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

4.7.2.2 राज्य सरकारें और एसएबी

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तराखण्ड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान और निकोबार की सरकारों द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों के अनुसार, मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता (यदि लागू हो) का 10 प्रतिशत के मासिक अंशदान, की कटौती की जाएगी और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा समान अंशदान प्रदान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- चयनित नौ राज्यों/यूटी में से छः में, 150 चयनित डीडीओ में से 35 और राज्यों के एक डीटीओ, 2,210 चयनित अभिदाताओं में से 172 अभिदाताओं के लिए ₹92,797 की राशि की कम कटौती की गई थी **{अनुलग्नक XVII(क)}**; तथा
- आठ चयनित राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों में से पाँच में, एसएबी के 33 चयनित डीडीओ में से सात में, 539 चयनित अभिदाताओं में से 37 अभिदाताओं के लिए ₹19,955 राशि की कम कटौती की गई थी। **{अनुलग्नक XVII(ख)}**।

तालिकाः 4.17

राज्य सरकार/एसएबी (राज्य/यूटी)	कुल चयनित डीडीओ	चयनित डीडीओ जहाँ मामले देखे गये	चयनित डीडीओ में कुल अभिदाता	अभिदाताओं की संख्या जिनमें मामले देखे गये	नहीं काटी गई राशि का औसत (₹ में)
राज्य सरकार	150	35 डीडीओ+ 01 डीटीओ	2210	172	270.21[@]
एसएबी	33	07	539	37	169.70[#]

@ अधिकांश उदाहरण ₹1 से ₹300 की सीमा में थे और एक उदाहरण में राशि ₹9,000 से अधिक थी।

अधिकांश उदाहरण ₹1 से ₹200 की सीमा में थे और दो उदाहरणों में राशि ₹1,100 से अधिक थी।

कम कटौती के लिए उद्धृत कारणों में राज्यों में प्रणाली/सॉफ्टवेयर में समस्याएं और गलत गणना थी। कम कटौती उन चयनित महीनों में व्यक्तिगत प्रैन में जमा की गई राशि को प्रभावित करती है, और इस प्रकार उन अभिदाताओं के संबंध में संचित कोष को भी।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

4.8 न्यासी बैंक में अंशदान का गैर-प्रेषण

एससीएफ के सफल अपलोड पर सीआरए प्रणाली एक विशिष्ट ट्रॉजैक्शन आईडी निर्मित करती है। इसके बाद, न्यासी बैंक को एससीएफ के समतुल्य निधि का स्थानांतरण नोडल कार्यालयों द्वारा किया जाता है।

4.8.1 केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग और सीएबी

लेखापरीक्षा ने चार चयनित मंत्रालयों/विभागों में न्यासी बैंक को ₹5.20 करोड़ के अंशदान के गैर-प्रेषण के कुछ उदाहरणों को पाया, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध हैः

तालिकाः 4.18

मंत्रालय/विभाग	लेखापरीक्षा अवलोकन (31 मार्च 2018 तक)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	₹4.47 करोड़ (449 अभिदाताओं से संबंधित) एम्स के दो डीडीओ द्वारा न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
कानून और न्याय मंत्रालय	चयनित किये गये पाँच डीडीओ में, से एक डीडीओ (उच्चतम न्यायालय) के पास पड़े ₹42.52 लाख (2009-10 से 2017-18 का अंशदान) को न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.)	सात चयनित डीडीओ में से एक डीडीओ (पीएओ, डीएसटी) द्वारा ₹29.59 लाख न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
खान मंत्रालय	पाँच चयनित डीडीओ में से एक डीडीओ (भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, कोलकाता) के तहत दो चयनित कर्मचारियों के संबंध में ₹6,430 न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये थे।
कुल	**₹5.20 करोड़**

4.8.2 राज्य सरकारें और एसएबी

लेखापरीक्षा ने छः चयनित राज्यों और एक यूटी में न्यासी बैंक को ₹793.04 करोड़ के अंशदान के गैर-प्रेषण के कुछ उदाहरणों को पाया, जैसा कि नीचे सारणीबद्ध हैः

तालिका 4.19

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	राज्य सरकार/एसएबी	लेखापरीक्षा अवलोकन
आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार	₹200.22 करोड़ मार्च 2018 तक न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
	एसएबी	• ₹22.55 करोड़ (2014-15 से 2017-18 तक अंशदान) में से ₹5.08 करोड़ एएनजीआरएयू द्वारा न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किया गये। • 18 अभिदाताओं के ₹13.78 लाख बकाया अंशदानों में से ₹1.85 लाख एरिया हॉस्पीटल पार्वतीपुरम (विजयवाड़ा) द्वारा नहीं प्रेषित किए गए, क्योंकि यह राशि दिसम्बर 2018 तक वसूल नहीं की गई थी। • वर्ष 2011-18 से संबंधित ₹19.72 लाख इंटरमीडिएट माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया गया था।
राजस्थान	राज्य सरकार	₹325.06[48] करोड़ नवम्बर 2018 तक न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
	एसएबी	• नवम्बर 2018 तक राजस्थान राज्य खेल परिषद् द्वारा ₹1.65 करोड़ न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। • मार्च 2018 तक जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड (जेसीटीएसएल) द्वारा ₹2.25 करोड़ न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। • नगर निगम, जयपुर में सभी 1,247 कर्मचारियों के लिए एनपीएस अंशदान दिसम्बर 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए ₹1.33 करोड़ की कटौती की गई थी, लेकिन न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया गया था।
उत्तराखण्ड	राज्य सरकार	• ₹150.76 करोड़ (नवम्बर 2005 से अप्रैल 2010 तक लीगेसी अंशदान) मार्च 2018 तक न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 2016-17 और 2017-18 के लिए लीगेसी राशि पर ₹25.09 करोड़ का ब्याज भी नहीं दिया। • ₹12.76 करोड़ (2010-11 से 2017-18 तक नियमित अंशदान) न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किये गये। इसके परिणामस्वरुप, राज्य सरकार को उपरोक्त राशि पर ₹7.32 करोड़ का ब्याज-भार वहन करना होगा।
हिमाचल प्रदेश	राज्य सरकार	• मार्च 2018 तक ₹2.42 करोड़ न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किये गये।

[48] जिसमें लीगेसी धनराशि से संबंधित ₹49.30 करोड़ शामिल है।

	एसएबी	• नवम्बर 2018 तक 91 अभिदाताओं का ₹3.24 करोड़ एचआरटीसी द्वारा न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये। • एचआरटीसी में, 15 चयनित कर्मचारियों में से 14 के संबंध में, अगस्त 2004 और अप्रैल 2011 की अवधि के लिए अंशदानों का बकाया ₹0.75 लाख की कटौती नहीं की गई थी। परिणामस्वरुप, उनके खाते में सरकारी अंशदान की समान राशि भी नहीं भेजी गई। • 15 चयनित कर्मचारियों में से 13 के मामले में, एचपीएसईबीएल शिमला द्वारा मार्च 2008 और जून 2016 की अवधि के ₹1.64 लाख की राशि के बकाया अंशदान की कटौती नहीं की गई। • जैडपी (कांगड़ा) में यह देखा गया कि ₹7.10 लाख की राशि का एनपीएस मासिक अंशदान चार महीने (फरवरी 2016, मार्च 2016, जनवरी 2017 और जनवरी 2018) के लिए न्यासी बैंक में प्रेषित नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	राज्य सरकार	मार्च 2018 तक ₹21.75 करोड़ न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
	एसएबी	अक्तूबर 2018 तक, जैडपी (नांदेड़) द्वारा ₹33.70 करोड़ न्यासी बैंक को प्रेषित नहीं किये गये।
झारखण्ड	एसएबी	मार्च 2018 तक राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान (राँची) द्वारा 31 कर्मचारियों के ₹3.77 लाख न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	एसएबी	जनवरी 2019 तक एमसीडी (उत्तर) द्वारा ₹7.69 लाख की लीगेसी राशि में से ₹6 लाख न्यासी बैंक को नहीं भेजे गये।
कुल		**₹793.04 करोड़**

न्यासी बैंक में अंशदान के गैर-प्रेषण के कारणों में लीगेसी की राशि का मिलान न करना, प्रैन जारी न करना, अभिलेखों/आँकड़ों में असमानता/त्रुटियाँ आदि थीं।

डीएफएस ने उत्तर (दिसम्बर 2019) दिया कि चूँकि न्यासी बैंक को अंशदान का गैर-प्रेषण एनपीएस अभिदाता के खाते में अंशदान भेजने में देरी का कारण बन सकता है, जिससे अभिदाता को मौद्रिक नुकसान होता है, नोडल कार्यालयों को डीएफएस के 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के अनुसार क्षतिपूर्ति के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, 2012 के बाद के मामलों के लिए क्षतिपूर्ति और इन मामलों में दण्डात्मक प्रावधानों को लगाने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

डीएफएस ने आगे उत्तर दिया (मई 2020) कि इस तरह के कदमों (दिनांक 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अधिसूचित) को स्वायत्त निकायों/पीएसयू द्वारा आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अपनाने चाहिये। डीएफएस ने डीओई से अनुरोध किया कि इस मामले में उपयुक्त स्पष्टीकरण ऐसे सभी निकायों को दिया जाये, क्योंकि इन निकायों में एनपीएस का लागू होना डीओई द्वारा निर्धारित किया जाता है। यह भी सूचित किया गया कि सरकारी नोडल कार्यालय पर एनपीएस अंशदान की विलम्ब से कटौती एवं जमा करवाने पर दण्डात्मक कार्रवाई करने के प्रावधान को शामिल करते हुए पीएफआरडीए अधिनियम को संशोधित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित हैं। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।

अनुशंसाः डीएफएस सुनिश्चित कर सकती है कि पीएफआरडीए अधिनियम में किया जा रहा संशोधन स्पष्ट रुप से प्रत्येक स्तर पर (जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण प्रावधान अधिनियम, 1952 में कर्मचारियों के लिए है) जिम्मेदारी, जवाबदेही और देरी के लिए दंड को परिभाषित करे ताकि यह सुनिश्चित हो कि निर्धारित समय के भीतर एनपीएस के अभिदाताओं का अंशदान न्यासी बैंक को भेजा गया है तथा अभिदाता के प्रैन में जमा किया गया है।

4.9 एनपीएस से निकास/प्रत्याहरण

अधिसूचना (दिसम्बर 2003) के अनुसार व्यक्ति सामान्य रुप से 60 वर्ष की आयु पर अथवा उसके बाद बाहर निकल सकते हैं और बाहर निकलने पर व्यक्ति को अनिवार्य रुप से पेंशन संपत्ति का 40 प्रतिशत निवेश वार्षिकी (आईआरडीएआई विनियमित जीवन बीमा कंपनी से) खरीदने में किया जाएगा। यह भी कहा गया कि सरकारी कर्मचारियों के मामले में सेवानिवृति के समय कर्मचारी और उसके आश्रित माता-पिता और उनके पति या पत्नी को जीवन भर के लिए पेंशन, वार्षिकी को प्रदान करना था। व्यक्ति को शेष पेंशन-संपत्ति एक मुश्त प्राप्त होगी, जिसे वह किसी भी तरीके से उपयोग करने के लिए स्वंतत्र होग और व्यक्ति के पास 60 वर्ष की आयु से पहले पेंशन प्रणाली को छोड़ने की स्वतंत्रता होगी। हालाँकि, इस मामले में अनिवार्य वार्षिकीकरण पेंशन संपत्ति का 80 प्रतिशत होगा।

पीएफआरडीए (एनपीएस के तहत निकास एवं प्रत्याहरण) विनियम, 2015 एनपीएस से निकास अथवा प्रत्याहरण पर अभिदाताओं के हित में एक प्रभावी व्यवस्था प्रदान करने का लक्ष्य रखता है जिसमें व्यक्तिगत पेंशन खाते से निकासी की शर्तें, उद्देश्य आवृत्ति और सीमाएं भी शामिल है, ऐसी स्थितियां भी जिसके अधीन अंशदाता एनपीएस से बाहर निकल सकेगा और वार्षिकी खरीदेगा। निकास/प्रत्याहरण के मामले के अंतिम निपटान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

4.9.1 केन्द्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

लेखापरीक्षा ने पाया कि खान मंत्रालय के पाँच चयनित डीडीओ में से एक में, 13 से 1,412 दिनों की अवधि में 10 मामलों को निपटाया गया और दो मामलों को क्रमशः 1,825 दिनों और 2,555 दिनों की अवधि के बाद भी अंतिम रुप नहीं दिया गया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जल संसाधन मंत्रालय के तीन डीडीओ में 98 कर्मचारियों के मामलों का निपटारा नहीं किया गया, पाँच कर्मचारियों के मामलों का निपटान 116 से 155 दिनों के बीच किया गया और 44 कर्मचारियों के मामलों का निपटान 120 से 3,795 दिनों के भीतर किया गया।

4.9.2 राज्य सरकारें

लेखापरीक्षा ने पाया किः

- हिमाचल प्रदेशः जून 2010 के दौरान एनपीएस को अपनाते समय राज्य सरकार द्वारा अंतिम भुगतान मामलों की प्रक्रिया के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी। जुलाई 2016 से ही अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रुप देने के लिए समय-सीमा तय की गई थी; तथा
- महाराष्ट्रः राज्य रिकार्ड कीपिंग एजेंसी ने निकास अनुरोधों की प्रक्रिया के लिए समय-सीमा (फरवरी 2017) निर्धारित की थी, जो पीएफआरडीए द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार थी। समय-सीमा के अनुसार, सेवानिवृत्ति, मृत्यु और समयपूर्व सेवानिवृत्ति के मामलों में, डीडीओ को सभी आवश्यक अभिलेखों के साथ अंतिम भुगतान मामले को डीटीओ के पास भेजना था, जिसे सीआरए साफ्टवेयर में प्रवेश के सात दिनों के भीतर इन मामलों को सीआरए को अग्रेषित करने की आवश्यकता थी। हालाँकि, अंतिम निपटान/धन वापसी के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की गई थी।

निकास मामलों में निपटान में देरी/लंबित होना निम्न कारणों से हुईः

- संबंधित एनपीएस अभिदाताओं या कानूनी उत्तराधिकारियों (आंध्र प्रदेश) से दावों के उचित प्रपत्रों की प्राप्ति नहीं होना तथा
- मृत्यु पर एनपीएस राशि के निपटान के लिए उचित दिशानिर्देशों का अभावः मृतक के परिवार के सदस्यों ने कुछ मामलों (कर्नाटक) में निपटान के लिए आवेदन नहीं किया था।

अंतिम भुगतान मामलों को अंतिम रुप देने में देरी के लिए डीटीओ ने मामलों को आगे बढ़ाने में देरी बताया था।

लेखापरीक्षा ने मामलों के निपटान में देरी के साथ-साथ लम्बित निपटान को भी देखा, जैसा कि नीचे तालिका में दिया गया हैः-

तालिका: 4.20

राज्य सरकारें/ केन्द्र शासित प्रदेश	**निपटारा हए/लंबित मामले**
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	पाँच चयनित डीडीओ में, • 180 दिनों के बाद 14 मामले का निपटान हुआ • 31 लंबित मामले जिनमें ₹93.73 लाख शामिल हैं।
आंध्र प्रदेश	31 मार्च 2018 में 55 लंबित मामले
महाराष्ट्र	दो डीटीओ और चार डीडीओ में • 90 दिनों के भीतर 148 मामलों का निपटान किया गया • तीन मामलों में 180 दिन से अधिक लगे • 31 मार्च 2018 में 33 लंबित मामले
कर्नाटक	20 चयनित डीडीओ में से 10 • 14 मामलों को दो से 34 महीनों के भीतर सुलझा लिया गया था। लंबित मामले • एक वर्ष से कम समय के लिए एक मामला • एक से चार साल के लिए चार मामले • तीन से अधिक वर्षों के लिए 10 मामले
उत्तराखण्ड	पाँच चयनित डीटीओ में, • 90 मृत्यु के मामलों के निपटान में एक महीने से लेकर 58 महीने तक लगे • अक्तूबर 2018 में 33 मामले लंबित थे।
दिल्ली	दो चयनित डीडीओ में, 33 मामलों में से चार के निपटान के लिए 105 से 148 दिन लगे।
हिमाचल प्रदेश	अंतिम रुप दिए गए 3,358 मामलों (पूरे राज्य के लिए) में से

	• 90 दिनों के भीतर 949 मामलों का निपटारा किया गया • 90-180 दिनों के भीतर 648 मामले और • 180 दिनों के बाद 1,761 मामले 268 लंबित मामले (31 मार्च 2018 तक) 20 चयनित डीडीओ में 471 मामलों में से • 152 को दो महीने के भीतर डीडीओ द्वारा एनएसडीएल को भेज दिया गया • 297 प्रकरणों को डीडीओ द्वारा तीन से 75 माह में एनएसडीएल को भेजा गया था। • अक्तूबर 2012 और मार्च 2018 (31 अक्तूबर 2018 तक) की अवधि के दौरान सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों से संबंधित 22 लंबित मामले
एसएबी	**सुलझे/लंबित मामले**
हिमाचल प्रदेश	दो एसएबी में, 103 मामलों में से, • 21 मामले में 90 दिन से कम समय लगा • 24 मामलों में 90 से 180 दिन लगे • 58 मामलों में 180 से अधिक दिन लगे
दिल्ली नगर निगम (पूर्व, उत्तर, दक्षिण)	8 निकास मामले 31 दिसंबर 2018 तक लंबित है, जिसमें 6 महीने से लेकर 38 महीने तक लंबित अवधि है।
दिल्ली जल बोर्ड (I और III)	सात मामले (141 से 1,542 दिनों तक लंबित)

डीएफएस ने सूचित किया (दिसम्बर 2019) कि पीएफआरडीए ने प्रस्तुत किया है कि पूर्वोक्त विलम्ब संबंधित नोडल कार्यालयों की ओर से निकास मामलों के प्रारम्भ में देरी को दर्शाता है। डीएफएस ने आगे अपना विचार व्यक्त किया कि नोडल कार्यालयों में बीच अनुशासन बनाए रखने और अंशदाता को नुकसान न हो, इसके लिए ऐसे मामलों के लिए दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाने की आवश्यकता है। इस पर डीएफएस में सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा अवलोकन जाँच किए गये नमूनों पर आधारित है। विलम्ब चिन्हित करने के लिये सरकार सम्पूर्ण एनपीएस प्रकरणों की उपयुक्त जाँच कर सकती है और सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ कर सकती है।